



पश्चिम रेलवे
Western Railway

WESTERN RAILWAY

Headquarter Office,
Churchgate,
Mumbai-400 020.

P. S No. 78/2015

No. E (R&T) 1136/0/Policy

Date: 14/07/2015

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- ZS-All India OBC Rly Empl Assn, Mumbai

Sub Recognition of Training Centres on Indian Railways

=====

A copy of Railway Board's letter No. E(MPP) 2015/3/6 dated 22/05/2015
(R.B.E.No. 51/2015) is sent herewith for information and necessary action.

Encl: As above.

Kamath
(N. M. Kamath) 14/7/15
SPO(R&T)
For General Manager (E)



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No. 51/2015

No. E(MPP)2015/3/6

New Delhi,

dated: 22-05-2015

The General Managers,
All Indian Railways/PUs
Metro Railway/Kolkata
Railway Electrification/Allahabad
DG/RDSO/Lucknow
CAO/DMW/Patiala
CAO/COFMOW/New Delhi

Sub: Recognition of Training Centres on Indian Railways.


Kindly refer to Board's letter No.E(MPP)2001/3/9 dated 18.9.2003 (RBE No163/2003) wherein Railways were advised to send the proposals for opening of new Training Centres to Management Services Directorate of Railway Board for consideration and approval.

It has, however, been observed that Railways, despite all instructions have continued to set up new Training Centres without making any detailed analysis of the requirement as also needs of the Zonal Railways/PUs, on their own, without any knowledge of Railway Board.

In order to curb this mushrooming of Training Centres on Indian Railways, Railway Board has decided that :

- A Standing Committee in the Zonal Railway/PU with Chief Personnel Officer (as Convenor), FA&CAO and nominated Training Manager of the Department concerned may be formed. This Committee would review the need and requirement of setting up of new Training Centres/Up-dation of existing Training Centres etc., keeping in mind the existing facilities, existing infrastructure and also the need to merge one or two training centres to cater to the additional requirement. The Committee shall also review the need for continuation of existing training centres.
- All the proposals, recommended by the Standing Committee giving detailed justification will need to be approved by Addl. General Manager or by General Manager in case AGM is not available before being sent to Board (Training Directorate) for approval.
- It will be the responsibility of the Standing Committee to ensure that no Training Centre is allowed to open without their clearance and without Board's approval.

Board desire that Railways/PUs may strictly adhere to the above instructions. No proposal henceforth, for opening/updation of a new training centre or recognition of training centre on IR will be considered in Board without approval of the Standing Committee.


(Anurag Singh)
Director (MPP)
Railway Board.

आरबीई सं. 51/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)2015/3/6

नई दिल्ली, दिनांक 22-05-2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयां
मेट्रो रेलवे/कोलकाता
रेलवे विद्युतीकरण/दुलाहाबाद
महाविदेशक/अ.अ.गा.सं./लखनऊ
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीएमडब्ल्यू/पटियाला
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो/नई दिल्ली

विषय: भारतीय रेलों में प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता देना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 18.09.2003 के पत्र सं. ई(एमपीपी)2001/3/9 (आरबीई सं. 163/2003) का अवलोकन करें जिसमें रेलों को नए प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के प्रबंधन सेवा निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया था ताकि उन पर विचार किया जा सके और इन्हें अनुमोदित किया जा सके।

बहरहाल, यह देखा गया है कि रेलों, सभी अनुदेशों के बावजूद क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों की अपनी मांग और जरूरतों का कोई विस्तृत विश्लेषण किए बिना और रेलवे बोर्ड की जानकारी के बिना ही नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रही हैं।

भारतीय रेलों में प्रशिक्षण केन्द्रों की तेजी से हो रही इस वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से, रेलवे बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि:

- क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में एक स्थायी समिति का गठन किया जाए, जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी (संयोजक के रूप में), वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और संबंधित विभाग का नामित प्रशिक्षण प्रबंधक शामिल हो। यह समिति मौजूदा सुविधाओं, मौजूदा अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए नए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने/मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को अपडेट करने आदि की आवश्यकता एवं मांग की और साथ ही अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए एक अथवा दो प्रशिक्षण केन्द्रों को गर्ज करने की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगी। यह समिति मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी रखने की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगी।

- औचित्य का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए स्थायी समिति द्वारा संस्तुत सक्षी प्रस्तावों को बोर्ड (प्रशिक्षण निदेशालय) को अनुमोदन के लिए भेजने से पूर्व अपर महाप्रबंधक द्वारा अथवा अपर महाप्रबंधक के न होने पर महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी।
- स्थायी समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनकी क्लीयरेंस के बिना और बोर्ड के अनुमोदन के बिना कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति न दी जाए।

बोर्ड चाहता है कि रेलें/उत्पादन इकाइयां उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। अब से भारतीय रेलों में नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने/उन्हें अपडेट करने अथवा प्रशिक्षण केन्द्र को मान्यता देने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना बोर्ड में विचार नहीं किया जाएगा।

अनुराधा सिंह
21/5/15
(अनुराधा सिंह)
निदेशक(एमपीपी)
रेलवे बोर्ड